मारत सरकार और फ़ांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में करार

मारत सरकार और फ़्रांसीसी गणराज्य की सरकार, दौनों राज्यों के बीच शिला, साहित्य, विज्ञान और क्ला के दात्रों में विनिमय को सुगम बनाने और विक्सित करने की इच्छा से,

एक दूसरे की भाषाओं और सम्यता की और अच्छी पारस्परिक जानकारी के निमित्त आवश्यक साधन जुटाने के लिए दृढ़-पृतिज्ञ होकर,

आर्थिक और सामाजिक विकास की अमिवृद्धि करने की दृष्टि से, वैज्ञानिक और तकनीकी देनत्र में आपसी सहयोग के सामान्य ढ़ांचे को, संविदाकारी पनाकारों के बीच समता के आघार पर, स्थापित करने की इच्छा से,

इस पुकार सहमत हुई हैं :

भाग - 1

सांस्कृतिक सहयोग

अनुच्छेद - 1

संविदाकारी पत्तकार, निधियों की उपलम्यता के अध्ययीन संस्कृति, शिला, क्ला तथा विज्ञान और तकनीकी सहयोग के दात्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

व्युच्छेद - 2

संविदाकारी पत्तकार, अपने-अपने विश्वविद्यालयों में और जहां तक सम्भव होगा अपनी स्नातकोच्र संस्थाओं, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अपनी तकनीकी, औषोगिक और वाणि ज्यिक संस्थाओं में भी स्क दूसरे की माजा, साहित्य और सभ्यता की शिला को पारस्परिक वायार पर प्रोत्साहित करेंगे।

वे मही मांति वह अध्यापकों का चयन करके, रेसी शिक्ता के लिए उपयुक्त समय नियत करके और परीक्ता के स्तर ज के रख कर, जहां तक सम्भव होगा, इस शिक्ता को विशेष स्थान देने का पुयत्न करेंगे।

न्तुच्हेद - 3

संविदाकारी पदाकार, उन कमैनारियों के, जिन्हें एक दूसरे के देश की माषा और सम्यता का शिताण-कार्य सौंपा गया है, प्रशिताण का महत्व समकते हुए, एतन्निमित्त पारस्परिक सहायता पुदान करेंगे; विशिष्टत: वे, जहां तक सम्भव होगा, अध्यापकों का पृशिताण आयोजित करेंगे और इस प्रयोजन के लिए पाष्यापकों की व्यवस्था करेंगे।

वनुच्छेद - 4

हर एक संविदाकारी पत्तकार दूसरे देश द्वारा प्रायोजित सांस्कृतिक संस्थानों, केन्द्रों, संगमों, अनुसंधान केन्द्रों और शिदाण संस्थापनों जैसी सांस्कृतिक या वैज्ञानिक संस्थाओं का अपने राज्यदेत्रत्र में स्थापित किया जाना और कार्यचालन सुगम बनायेगा। हन संस्थाओं को सम्बद्ध देशों की विधियों के ढाचे के अन्तर्गत अपने कार्यचालन के लिए अधिकतम सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मुच्चेद - 5

संविदाकारी पदाकार, जहां तक सम्भव होगा, प्रोफोसरों और अन्य विश्वविद्यालय-अध्यापकों, विद्यार्थियों, अनुसन्धान-कर्तां कों, तथा विश्वविद्यालय के तथा विश्वविद्यालयेतर सांस्कृतिक दलों की व्यवस्था या उनका विनिमय आयोजित करेंगे।

व्युच्छेद - 6

उपर्युक्त ब्लुच्छेद 5 में विणित विनिमयों को कायोन्वित करने के लिए हर एक संविदाकारी पद्मकार, अपने राज्यदेन में अध्ययन करने अथवा उन्नत पृशिद्मण प्राप्त करने के इच्छुक दूसरे पद्मकार के विद्यार्थियों और ब्लुसंघान-कर्तां के लिए हात्रवृत्तियों के अनुदान बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। हात्रों का चयन एक चयन-समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें दूसरे देश की सरकार का पृतिनिधित्व एक नामनिर्देशिती करेगा।

अनुच्छेद - 7

संविदाकारी पत्तकार दौनों में से किसी भी पत्तकार के राज्यतेत्र में किए गए अध्ययनों को, पास की गयी प्रतियोगितात्मक या अन्य परीत्ताओं को और इस प्रकार अभिप्राप्त डिग्नियों और डिफ्शोमाओं को आंश्रिक या पूर्ण समतुल्यता प्रदान करने के उपाय सौजने का प्रयत्न करेंगे।

अनुच्छेद - 8

संविदाकारी पत्तकार अपनी-अपनी संस्कृतियों के सम्बन्ध में शानवर्द्धन के अभिपाय से कन्सर्ट, प्रदर्शनियां, नाट्य-पुदर्शन और सांस्कृतिक समारीह करने के लिए एक दूसरे को सभी सम्भव सुविधाएं देने का प्रयत्न करेंगे।

अनुच्छेद - 9

संविदाकारी पदाकार, अपने-अपने राज्यदात्रों में निम्नलिखित के लाये जाने और वितारित किए जाने के लिए अपने-अपने देश में प्चलित विधियों के अनुसार पारस्परिक रूप से सुविधा पुदान करेंगे:

(क) चलचित्र, संगीत (स्वरिलिप या रिकर्डिंग)

उपर्युक्त क्तुच्केद 5 में वणित विनिमयों को कायौन्वित करने के लिए हर एक संविदाकारी पद्मकार, अपने राज्यदेन में अध्ययन करने अथवा उन्नत पृशिद्मण प्राप्त करने के इच्छुक दूसरे पद्मकार के विद्यार्थियों और क्तुसंघान-कर्ताओं के लिए क्षात्रवृत्तियों के अनुदान बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। क्षात्रों का चयन एक चयन-समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें दूसरे देश की सरकार का पृतिनिधित्व एक नामनिर्देशिती करेगा।

ञ्चुच्छेद - 7

संविदाकारी पत्तकार दौनों में से किसी भी पत्तकार कें राज्यकेत्र में किए गए अध्ययनों को, पास की गयी प्रतियोगितात्मक या अन्य परीत्ताओं को और इस प्रकार अभिपाप्त डिग्नियों और डिप्छोमाओं को आंशिक या पूर्ण समतुल्यता प्रदान करने के उपाय खौजने का प्रयत्न करेंगे।

न्तुच्छेद - 8

संविदाकारी पदाकार अपनी-अपनी संस्कृतियों के सम्बन्ध में ज्ञानवर्द्धन के विभिष्ठाय से कन्सर्ट, पुदर्शनियां, नाट्य-पुदर्शन और सांस्कृतिक समारीह करने के लिए एक दूसरे को सभी सम्भव सुविधाएं देने का प्रयत्न करेंगे।

न्तुच्छेद - 9

संविदाकारी पदाकार, अपने-अपने राज्यदात्रों में निम्नालिखित के लाये जाने और वितारित किए जाने के लिए अपने-अपने देश में प्रचलित विधियों के अनुसार पारस्पर्कि रूप से सुविधा पुदान करेंगे:

(क) चलचित्र, संगीत (स्वर्लिपि या रिकर्डिंग)

रैडियो और टैली विजन सम्बन्धी सामगी; और (ख) क्लाकृतियां और उनकी पुनरावृद्धियां। वे इस देन में आयोजित सांस्कृतिक पुदर्शनों और विजनमयों के लिए यथासम्भव सहायता देंगे।

न्तुच्छेद - 10

हर एक संविदाकारी पत्ताकार दूसरे देश की वैज्ञानिक, तकनीकी, साहित्यिक और क्लात्मक पुस्तकों तथा इन प्रकाशनों से सम्पृक्त सूची-पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं के अधिकाधिक वितरण को वाणि ज्यिक साधनों से तथा विनिमय और उपहारों के रूप में सुगम बनाने का प्रयत्न करेगा।

भाग - 2

वैज्ञानिक और तकनीकी सहयौग

व्युञ्चेद - 11

संविदाकारी पदाकार अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासन, शिदा, विज्ञान और औथौ निकी के दात्रों में दोनों राज्यों के बीच तकनीकी सहयोग को प्रशिदाण और अनुसंधान मिशनों के माध्यम से बायौ जित करने का विनिश्चय करते हैं।

ज्युच्छेद - 12

रेसे सहयोग को कियान्वित करने के लिए हर एक सरकार, दूसरी सरकार के निवेदन पर -

- (क) शिताण-कार्य, विनिर्दिष्ट समस्याओं पर तकनीकी सलाह देने, या पृशिताण-पाठ्यकुम आयोजित करने के लिए विशेषज्ञों को उसके नियंत्रण में देने का प्रयत्न करेगी;
- (स) मूल और प्रयुक्त दौनों पुनार के वैज्ञानिक और तकनीकी

क्तुसंघान के कार्यकृमों को पूरा करने में सहायता, विशेषत: इन देन त्रों में विशेषित संस्थाओं या निकार्यों की मदद से करने का प्रयत्न करेगी ;

- (ग) क्रात्रवृत्तियों के अनुदान देने का तथा उन्नत पृशिदाण और रिफ्रेशर पाठ्यकुमीं की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगी ;
- (घ) शैचिक पाठ्यकुमों और व्यावसायिक पृश्चित में दूसरे पत्तकार के राष्ट्रिकों का भाग छैना सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगी;
- (डः) वैज्ञानिक सम्मेलनों, परिसंवादों, बादि में माग लेने के लिए उसके प्रतिनिधि आमंत्रित करने का प्रयत्न करेगी ; और
- (च) साहित्य का पुदाय करने का, व्याख्यान आयोजित करने का, और तकनीकी जानकारी के फिल्म अथवा पुचार के जन्य साधन पुस्तुत करने का पुयत्न करेगी।

अनुच्छेद - 13

हर एक संविदाकारी पत्तकार क्षात्रों के विनिमय और वैज्ञानिक तथा तक्नीकी कर्मचारियों के लिए रिफेशर और पृश्चित्तण पाठ्यकृमों के नायौजन को सुगम बनाने के लिए नावस्यक कार्यवाही करेगा।

भाग - 3

साधारण

न्तुच्छेद - 14

हर एक संविदाकारी पद्मकार, पुस्तुत करार में निर्धारित कृत्यों के पालनार्थ, दूसरे देश के राष्ट्रिकों के निवास और गमनागमन को, अपनी विधियों के अनुसार, सुगम बनाएगा।

अनुच्छेद - 15

एक संयुक्त आयीग, जिसमें दीनीं सरकारीं के बराबर-बराबर

वर्तमान करार हस्ताचारण की तारीख के तीस दिन पश्चात् प्रवृत्त होगा।

जिसके पृति निष्ठास्वरूप, दौनौं सरकारौं के पृतिनिधियों ने वर्तमान करार पर इस्तादार कर दिए हैं और अपनी-अपनी मुद्राएं लगा दी हैं।

बाज पैरिस में तारीब सात जून उन्नीस सौ छासठ को, दो प्रतियों में किया गया, एक प्रति भारत सरकार के छिए है और हिन्दी, फ़्रांसीसी और बंगुजी में प्रारूपित की गई है तथा दूसरी प्रति फ़्रांसीसी सरकार के छिए है तथा . फ़्रांसीसी, हिन्दी और बंगुजी में प्रारूपित की गई है। हिन्दी और फ़्रांसीसी पाठ समान रूप से बिधपुमाणित हैं।


भारत सरकार के लिए

फ्रांसीसी गणराज्य की सरकार के लिस

ी. C. Clug (त (मुहम्मद करीम मॉय क्रागला)

शिष्ता मंत्री, भारत सरकार

(जां द बुह्य) संकृटित जाफ स्टेट फारेन जफ यस



भारत सरकार और फ़्रांसीसी गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के छिए बाज 1966 के जून के सातवें दिन को हस्ताचारित करार से सम्बद्ध विचीय निबन्धनों का प्रौटोंकोल

इस प्रोटोकोल के भाग 1 के प्रयोजन के लिए, विशेषज्ञ शिव्द से तकनीका, विशेष जानकार, अनुसंघान कर्ता, अध्यापक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक और अन्य व्यक्ति अभिपृत होंगे, जो दोनों सरकारों की सहमति से और आज हस्ताचारित सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के करार की परिधि के अन्तर्गत भारत या फू सं जाते हैं।

ेविशेषज्ञ शक्द, दूसरे देश को भेजे गये और करार के अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट क्षात्रवृत्तिघारियों और पृशिहाणार्थियों को लागू न होगा।

भाग - 1

विशेषज्ञों को लागू सामान्य पावधान

अनुच्छेद 1

क्ह मास की या लघुतर अस्तित्वाविध वाले मिश्नों के लिए, विचपौषण की रीतियां, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, निम्नलिसित होंगी :-

- (क) उस राज्य की सरकार जो विशेषज्ञ को भेजती है, उसके सम्बळम् और भद्रे तथा उसके मिशन के स्थान तक और वहां से सामान के परिवहन सहित वापसी बन्तराष्ट्रीय यात्राओं के बर्च देगी।
- (ख) बातिथ्यकता देश की सर्कार विशेषज्ञ के मौजन और निवास के खर्चे उठारगी और बानुषंगिक व्ययों के लिए समुचित जैब खर्चे भवा देगी।

अनुच्चेद 2

क्ह मास से विषक की अस्तित्वाविध वाले मिशनों के लिए, विच पौषण की रीतियां, जब तक कि अन्यथा विनिदिष्ट न हों, निम्नलिखित होंगी :-

- (क) उस राज्य की सरकार जी विशेषज्ञ को भेजती है,
 उसके मिशन के स्थान तक उसका ह्वाई यात्रा खर्च तथा सामान
 परिवहन खर्च, जिसके जन्तगैत आवश्यकता होने पर वायु मार्ग से
 20 किलोगाम तक अतिरिक्त सामान प्रभार आते हैं, देगी। उस
 देश की सरकार, जो विशेषज्ञ का आतिथ्य करता है, उन्हीं दशाओं
 में, उसके मिशन के स्थान से उस देश की जिसने उसे भेजा था, राजधानी
 तक संपूर्ण वापसी ह्वाई भाड़ा जिसके अन्तगैत (वायुमार्ग से 20 किलोगाम
 के अतिरिक्त प्रभार सहित) सामान परिवहन खर्च आता है, वहन करेगी।
- (त) वातिथ्यकता देश की सरकार विशेषज्ञ को स्थानीय करेंसी में उतने सम्बल्जम् और भन्ने देगी, जो समतुल्य पंक्ति वाले या समरूप कर्तव्यों का पालन करने वाले उसके अपने कर्मचारियों के सम्बलम् और भन्नों के बराबर हैं।
- (ग) यदि विशेषज्ञ एक वर्ष से अधिक के मिशन पर आता है, तो उस देश की सरकार, जो उसे मेजती है, उसके कुटुम्ब (मत्नी और बच्चों) का एक और का ह्वाई यात्रा सर्च तथा सामान परिवहन सर्च भी जिसके अन्तर्गत आवश्यकता होने पर वायु मार्ग से 30 किछोगाम तक कुछ अतिरिक्त पुभार आता है, देगी। आतिथ्यकता राज्य की सरकार, उन्हीं दशाओं में, विशेषज्ञ के और उसके कुटुम्ब के वापसी यात्रा भाड़े और सामान परिवहन सर्च का भार गृहण करेगी।

ज्युच्छेद 3

दौनों में से किसी भी देश के विशेषज्ञ के फर्नीचर, निजी

वीजबस्त, एक यान और वृत्तिक उपस्कर को भारत और फ्रांस में शुल्कों और करों से क्रूट का फायदा भारतीय और फ्रांसीसी राज्यकात्र में प्रवृत विनियमों के बध्यधीन रहते हुए प्राप्त होगा।

व्युच्छेद 4

वातिथ्यकता राज्य की सरकार, विशेषज्ञ की, अपने कर्तव्यों के संसंग में आन्तरिक यात्रा के खर्ची को वहन करेगी और उसे उसके मिश्न की निष्पित के लिए आवश्यक साधन उपबंधित करेगी

अनुन्देद 5

- (क) बातिथ्यकता संस्थाएं, संगठन, संस्थापन विशेषज्ञ को हुट्टी, दीघाँवकाश, अवकाश-दिनों जैसे फायदे जो कि उनके नियमों और विनियमों के अधीन निघाँ रित हैं, उपबंधित करेंगे। वे उसे वे युक्तियुक्त सुविधाएं भी देंगे जो उसके मिशन को पूरा करने के लिए बावश्यक हों, जैसे कि प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों का उपयोग।
- (त) यदि ैविशेषज्ञ ै रुग्णावस्था के कारण कम से कम दो मास की कालावधि के दौरान निर्न्तर अपने कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ नहीं है, तो भेजने वाले देश की सरकार उसे समान प्रास्थिति और योग्यता वाले दूसरे विशेषज्ञ ै से प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेगी।

माग 2

फास्टिक क्ला पुदर्शनियों को लागू पावधान

न्तुच्हेद 6

(क) इस करार की परिधि के अन्तर्गत संगठित फास्टिक क्ला

की पुदर्शनियों के लाने-ले जाने से तथा बीमें से संसक्त व्यय मेजने बाले देश द्वारा वहन किए जाएंगे। यही बात उस क्ला सलाहकार के यात्रा खर्चों को लागू होती है, जो पुदर्शनियों के साथ जाए।

(त) आ तिथ्यकता पत्त सीमाञ्चल निकासी, लीलने और पुन: पैक करने, स्थानीय व्यवस्थाओं, विशिष्टतया परिसर के माटक, स्थापना और पुनार, देश में अन्य स्थानों को आन्तरिक परिवहन, पुदर्शनियों की अस्तित्वावधि के लिए बीमे से संसक्त सभी व्यय तथा पुदर्शनी के साथ रहने वाले कला सलाहकार द्वारा देश के अन्दर ठहरने और यात्रा से संसक्त व्यय वहन करेगा।

भाग 3

साधारण

अनुच्छेद 7

हर एक संविदाकारी पद्मकार, दूसरी सरकार के सांस्कृतिक कार्यों या तकनीकी सहयोग से उत्पन्न विचीय समस्याओं के निपटारे को यावतसम्भव सुकर करेगा। विशिष्टतया, वह इस करार के अधीन कमैचारियों को दिए गए पारिश्रमिक में से युक्तियुक्त क्वतें, भेजने वाले देश को लौटाने की अनुज्ञा, इस सम्बन्ध में प्रसामान्य विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुकूल देगा।

अनुच्छेद 8

हर एक संविदाकारी पद्मकार अपने बान्तिर्क विद्यान के अध्यद्यीन रहते हुए उस सांस्कृतिक सामगी और तकनीकी उपस्कर का नि:शुल्क बायात ब्तुज्ञात करेगा, जो सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयौग करार की परिधि के अन्दर सांस्कृतिक और तकनीकी सहयौग के प्रयोजन के लिए दूसरी सरकार द्वारा दिया जाए।

अनुन्हेद 9

हर स्क संविदाकारी पद्मकार, जहां तक सम्भव हो, उन सब समस्याओं के निक्टारे को सुकर करेगा, जो देसे सांस्कृतिक या तकनीकी कार्यों से उत्पन्न हों, जिन्हें सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग करार की परिधि के बन्दर दूसरा पद्मव करेगा।

न्तुच्हेद 10

करार को ज्यतन लागू करने में और उसके प्रौटोकील के आघार पर, पद्मकारों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकन सहयोग की कुछ रितियों को विनिर्दिष्ट और समन्वित करने व दृष्टि से पूरक ठहराव किए जा सकेंगे।

बाज पैरिस में तारीत सात जून उन्नीस सौ क्वासठ को व पृतियों में किया गया, एक पृति मारत सरकार के लिए है तथा हिन्दी, फ़ांसीसी और केंग्रेजी में प्रारूपित की गई है तथा दूस पृति फ़ांसीसी सरकार के लिए है और फ़ांसीसी, हिन्दी बौ बंग्रेजी में प्रारूपित की गई है। हिन्दी और फ़ांसीसी पाठ समान रूप से वाधपुमाणित हैं।

भारत सरकार के छिए m·C·Clayla

(मुहम्मद करीम मॉय हागला) शिला मंत्री, भारत सरकार फ़ांसीसी गणराज्य की सरकार के लिए

(ज्रांद बुहय) सेक्ट्रेटरी आफ स्टेट फारेन अफेयर्स

फ़्रांसीसी गणराज्य

AGREEMENT CONCERNING CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC

The Government of India and the Government of the French Republic,

Desirous of facilitating and developing exchanges between the two States in the fields of education, letters science, and arts,

Determined to work out the means necessary for a better mutual knowledge of each other's languages and civilisation,

Desirous of setting up, on the basis of equality between the Contracting Parties, the general framework of their cooperation in the scientific and technical field with a view to promoting economic and social development,

Have agreed as follows:-

PART - I

CULTURAL COOPERATION

ARTICLE - I

The Contracting Parties will endeavour, subject to the availability of funds, to develop their cooperation in the fields of culture, education, arts, as well as science and technical cooperation.

APTICLE - II

The Contracting Parties will reciprocally promote the teaching of each other's language, literature and civilisate in their Universities and to the extent possible, in their post-graduate institutions, higher secondary schools and in their technical, industrial and commercial institutions.

They will endeavour, to the extent possible, to give a special place to this teaching by selecting well qualified teachers, by allotting suitable time to this teaching and by keeping high the standards of examination.

ARTICLE - III

The Contracting Parties, recognising the importance of the training of staff entrusted with the teaching of the language and civilisation of each other's country, will afford mutual help in this behalf; they will, in particular, organise, to the extent possible, the training of teachers and provide lecturers for the purpose.

ARTICLE - IV

Each Contracting Party will facilitate the setting up and functioning in its territory of cultural or scientific institutions, such as cultural institutes, centres, associations, research centres and teaching establishments, sponsored by the other country. These institution will enjoy the maximum facilities for their functioning within the framework of the laws of the respective countries

ARTICLE - V

The Contracting Parties will organise, to the extent possible, the supply or exchange of professors and other university teachers, students, research workers and university as well as non-university cultural groups.

ARTICLE - VI

In order to implement the exchanges mentioned in Article V above, each Contracting Party will try to expand the grant of scholarships to students and research workers of the other Party desirous of carrying on studies or

obtaining advanced training in its territory. The selection scholars will be made through a Selection Committee which the Government of the other country will be represent a nominee.

ARTICLE - VII

The Contracting Parties will endeavour to find to means of granting to the studies carried out, to examinate competitive or otherwise, passed and to the degrees and diplomas thus obtained in the territory of either party partial or full equivalence.

ARTICLE - VIII

The Contracting Parties will try to extend all possible facilities to each other for holding of concert exhibitions, theatrical performances and cultural functioneant for increasing the knowledge of their respective cultures.

ARTICLE - IX

The Contracting Parties will, in accordance with the prevailing laws of each country, reciprocally facilit the entry and distribution in their respective territorie of the following:-

- a) Cinematographic, musical (scores or recordings);
 radio and television material; and
- b) Yorks of art and their reproductions.

They will, to the extent possible, give assistance cultural performances and exchanges organised in this field

ARTICLE - X

Each Contracting Party will endeavour to facilitate a wider distribution of scientific, technical, literary and artistic books and catalogues concerning these publications and periodicals of the other country through accounts the second of the other country through accounts the second of the other country through account the second of the other country through accountry through a country through the country through the country through the c

as well as in the form of exchanges and gifts.

PART - II

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION

ARTICLE - XI

The Contracting Parties decide to organise technical cooperation between the two States in the fields of administration, education, science and technology, <u>interalia</u> through training and research missions.

ARTICLE - XII

In order to carry out such cooperation, each Government will try, at the request of the other Government,

- a) to place at its disposal experts for teaching or technical advice on specific problems or organising training courses;
- b) to help in the realisation of programmes of scientific and technical research, both fundamental and applied, specially through the assistance of institutions or bodies specialised in these fields;
- c) to grant scholarships and arrange advanced training and refresher courses;
- d) to ensure the participation of nationals of the other party in academic courses and vocational training;
- e) to invite its representatives to participate in scientific conferences, symposia, etc; and
- f) to supply literature and arrange lectures, presentation of films or other means of propagation of technical information.

ARTICLE - XIII

Each Contracting Party will take necessary steps to facilitate exchange of students and organisation of refresher and training courses for scientific and technical personnel.

PART - III

GENERAL

ARTICLE - XIV

Each Contracting Party will facilitate, in accordance

with its laws, the stay and movement of the nationals of the other country in the performance of the functions as laid down in the present Agreement.

ARTICLE - XV

A Joint Commission, consisting of an equal number of representatives of both Governments and to which experts may be added, will meet in principle every two years by rotation in New Delhi, under an Indian Chairman, and in Paris, under a French Chairman.

The terms of reference of the Commission will be:-

- a) to keep under periodical review the working of the Agreement in the two countries;
- b) to advise the Governments concerned on the detailed manner of carrying out the Agreement;
 - c) to formulate cultural, scientific, and educational exchange programmes and review their progress;
- d) to recommend to the Party concerned any items of interest to either Party in the fields within the scope of the Agreement; and
- e) generally to advise the Governments concerned as to the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.

ARTICLE - XVI

Nothing in this Agreement shall be deemed to affect the provisions of the Treaty of Cession of the French Establishments of Pondicherry, Karikal, Mahe and Yanam of May 28, 1956, and the approved Franco-Indian minutes of March 16, 1963 relating to complementary provisions made thereto.

ARTICLE - XVII

The present Agreement shall remain in force for a period of five years. Thereafter it will be renewable by tacit agreement unless one of the Contracting Parties terminates it by giving notice of at least six months.

The present Agreement shall come into force 30 days after the date of signature.

IN FAITH WHEREOF, the representatives of the two Governments have signed the present Agreement and have put their respective seals.

Done at Paris this seventh day of June, one thousand nine hundred and sixty six, in duplicate, one copy meant for the Indian Government and drafted in Hindi, French and English and the other for the French Government in French, Hindi and English, the Hindi and the French texts being equally authentic.

For the Government of India

For the Government of the French Republic

(MOHOMEDALI CURRIM CHAGLA)
Minister for Education

(JEAN DE BROGLIE)
Secretary of State
Foreign Affairs

m.c. cerugla

PROTOCOL

of Financial Terms relating to the Agreement for Cultural, Scientific and Technical Cooperation between the Government of India and the Government of the French Republic signed on this seventh day of June, 1966

The term "expert" for the purpose of part I of the present Protocol shall mean technician, specialist, research worker, teacher, professor, scientist and others going to India or to France, with the concurrence of both the Governments and within the scope of the Cultural, Scientific and Technical Cooperation Agreement signed on this day.

The term "expert" shall not apply to scholars and trainees sent to the other country and referred to in Article VI of the Agreement.

PART - I

COMMON MEASURES APPLICABLE TO EXPERTS

ARTICLE I - For missions of six months' or shorter duration, the modalities of financing, unless otherwise specified, shall be as follows:-

- a) The Government of the State which sends the "expert" shall pay his salary and allowances as well as the cost of return international passage, including transport of luggage, to and from the place of his mission.
- b) The Government of the receiving country shall meet the expenses on the board and lodging of the "expert", and pay a suitable pocket allowance for incidentals.

ARTICLE II - For missions of more than six months' duration, the modalities of financing, unless otherwise specified, shall be as follows:-

- a) The Government of the State which sends the "expert" shall pay his air passage to the place of his mission, as well as luggage transport, including, if necessary, excess luggage charges up to 20 Kgs. by air. The Government of the country which receives the expert shall bear in the same conditions, the totality of the return air fare from the place of his mission to the capital of the country that sent him, including luggage transport (with an excess of 20 Kgs. by air).
- b) The Government of the receiving country will pay the "expert" salary and allowances in local currency equal to those of its own personnel of equivalent rank or performing similar duties.

c) In case the "expert" carries out a mission exceeding one year, the Government of the country which sends him shall also pay one way air passage of his family (wife and children) as well as luggage transport including, if necessary, total excess up to 30 Kgs. by air. The Government of the receiving country will assume in the same conditions the return air fare and luggage transport of the "expert" and of his family.

ARTICLE III - Furniture, personal effects, a vehicle and professional equipment belonging to the "expert" of either country will get benefit of exemption from duties and taxes in India and France subject to the regulations in force on Indian and French territory.

ARTICLE IV - The Government of the receiving country shall bear the expenses of the "expert's" internal travel in connection with his duties and provide him with the means necessary to accomplish his mission.

ARTICLE V - (a) The receiving institutions, organisations, establishments shall provide to the "expert" benefits like leave, vacation, holidays as laid down under their rules and regulations. They shall also extend to him reasonable facilities such as use of laboratories, libraries, as may be necessary for carrying out his mission.

(b) In case the "expert" is not able to attend to his duties continuously during a period of at least two months owing to illness, the Government of the sending country shall endeavour to replace him by another "expert" of equal status and calibre.

PART - II

MEASURES APPLICABLE TO PLASTIC ART EXHIBITIONS

ARTICLE VI - (a) The expenses connected with the transport back and forth and the insurance of plastic art exhibitions organised within the scope of the present agreement shall be borne by the sending country. The same applies to the travelling costs of the art Adviser who may accompany the exhibitions.

(b) The receiving side shall meet all expenses connected with customs clearance, unpacking and repacking, local arrangements, in particular rent of premises, setting up and publicity, internal transport to other places in the country, insurance for the duration of the exhibitions as well as the expenses connected with the stay and travel within the country of the art adviser accompanying the exhibition.

PART - III

GENERAL

ARTICLE VII - Each contracting party will facilitate as far as possible, the settlement of financial problems raised by

the cultural activities or the technical cooperation of the other Government. It will allow in particular, in keeping with normal exchange control regulations in this respect, repatriation to the sending country of reasonable savings from remuneration made to personnel under the present Agreement.

ARTICLE VIII - Each contracting party will permit, subject to its internal legislation, duty free import of cultural material and technical equipment supplied by the other Government for the purpose of cultural and technical cooperation within the scope of the Cultural, Scientific and Technical Cooperation Agreement.

ARTICLE IX - Each contracting party will, to the extent possible, facilitate the settlement of problems raised by cultural or technical activities that the other Party will perform within the scope of the Cultural, Scientific and Technical Cooperation Agreement.

ARTICLE X - In application of the Agreement to date and on the basis of its Protocol, complementary arrangements may be concluded between the Parties in view of specifying and harmonising certain modalities of cultural, scientific and technical cooperation.

Done at Paris this seventh day of June, one thousand nine hundred and sixty six, in duplicate, one copy meant for the Indian Government and drafted in Hindi, French and English and the other for the French Government in French, Hindi and English, the Hindi and the French texts being equally authentic.

For the Government of India

m. c. Chagla.

(MOHOMEDALI CURRIM CHAGLA)
Minister for Education

For the Government of the French Republic

(JEAN DE BROGLIE) Secretary of State Foreign Affairs

- ora